संख्या:53/2026/908जे0/22-5-2026-61रा0मा0/2024-ई-1870082

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2026**

विषय- जिला कारागार, पीलीभीत के विचाराधीन बंदी सुखविन्दर पुत्र श्री तिलक राम की दिनांक 20.02.2024 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक, (प्र0), मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-28801/मा0अनु0(9-जी)/11/2024, दिनांक 25-07-2026 एवं शासन के पत्र संख्या- 28रिट/22-5-2026-61 रा0मा0/2024 ई-1870082, दिनांक 26-07-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र दिनांक **संख्या: 42/2026/840जे0/22-5-2026-61रा0मा0/2024-ई-1870082**, दिनांक 15-07-2026 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-579/2025 प्रेमा देवी बनाम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन में देय मुआवजा की धनराशि रू0 10.00 लाख के सापेक्ष रू० 7.00 लाख की धनराशि मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अन्तर्गत भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-579/2025 प्रेमा देवी बनाम बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2026 के अनुपालन में अवशेष धनराशि रू० 3.00 लाख मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के अन्तर्गत भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन मा0 राज्यपाल महोदया प्रदान करतीं हैं।

(1) उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2026-2027 के आय व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(3) महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ एवं शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
(सूर्य प्रकाश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1-यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:53/2026/908जे0(1)/22-5-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- जिलाधिकारी, पीलीभीत।

5- कोषाधिकारी, पीलीभीत ।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ एवं शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।